प्रेस नोट

"जल और वायु प्रदूषण के नियंत्रण में नियामक और भागीदारी दृष्टिकोण का प्रभाव विश्लेषण" विषयक संगोष्ठी

विश्व की लगातार बढ़ती मानव आबादी, तेजी से हो रहा आर्थिक विकास, चल रहे शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव के साथ जल और वायु प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है। यदि सही कदम नहीं उठाए गए तो वर्तमान स्थिति और भविष्य के पूर्वानुमान आने वाले दशकों में पानी की स्थिति को और खराब कर देंगे। पानी, एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है, जिसके लिए उपयुक्त योजना, विकास और प्रबंधन की आवश्यकता है। सरकारी एजेंसियों में भारत के संघीय ढांचे के सभी स्तरों पर कई कार्य योजनाएं, नीतियां और नियम शामिल हैं और इसके परिणामस्वरूप सभी भारतीय राज्यों और क्षेत्रों में जल संसाधन प्रबंधन के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया है।

दिनांक 28 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), प्रधान कार्यालय, दिल्ली में "जल और वायु प्रदूषण के नियंत्रण में विनियामक और भागीदारी दृष्टिकोण का प्रभाव विश्लेषण" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें नगरपालिका अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल, त्यौहार और उत्सव पर बिगड़ती पानी की गुणवत्ता, जल स्थिरता, जल के पुन: उपयोग और संसाधन बहाली और वाहन उत्सर्जन के लिए प्रबंधन आदि सहित पानी की गुणवत्ता के लिए नियामक और तकनीकी हस्तक्षेप पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा की गई पहल को प्रस्तुत किया गया था।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने मीठे पानी के संरक्षण और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के उपायों को अपनाने के लिए राष्ट्र से बार-बार अपीलें की है। उपरोक्त विषय के दायरे में, कुशल जल प्रबंधन रणनीतियों और तकनीकों (कम करें, पुन: उपयोग करें और पुन:चक्रित करें) की योजना बनाई और कार्यान्वित की गई है। इस संगोष्ठी में विभिन्न विद्वानों एवं विशेषज्ञों ने औद्योगिक प्रदूषण, सीवेज और पानी की गुणवत्ता के कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और

मॉनिटरिंग के विषय में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। इसमें मीठे पानी के संरक्षण, अपशिष्ट जल को कम करने, प्रदूषण भार में कमी लाने और औद्योगिक प्रक्रिया या सिंचाई उद्देश्यों में उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए लुगदी और कागज, चीनी और आसवनी आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में एक भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से तकनीकी हस्तक्षेप को भी शामिल किया गया था। इंडो-गंगा बेसिन में जल प्रदूषण के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक सबसे बड़ी समस्या घरेलू सीवेज को भी सीवेज उपचार सुविधाओं की क्षमता वृद्धि, वैकल्पिक उपचार तकनीकों को अपनाने, प्रमुख नालों के लिए कार्य योजना तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने और निरंतर निगरानी के माध्यम से प्रबंधित किया गया है। इसने प्रदूषण स्रोत मानचित्रण और कार्य योजना तैयार करने और स्थानीय प्रशासन और सरकारी एजेंसियों को शामिल करते हुए इसके कार्यान्वयन के माध्यम से गंगा, यमुना और इसकी सहायक नदियों की जल गुणवत्ता के प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा की गई उपर्युक्त पहल के बारे में प्रस्तुतियां दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थायी पर्यावरण प्रबंधन हुआ; जैसे लुगदी और कागज उद्योगों से जीरो ब्लैक लिकर डिस्चार्ज, डिस्टिलरीज से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, गंगा नदी में रंगीन पानी की कोई घटना नहीं होने की सूचना, प्राप्तकर्ता जल निकायों की जल गुणवत्ता में सुधार, सिंचाई में चीनी उद्योगों से उपचारित अपशिष्ट का पुन: उपयोग, सीवेज में हस्तक्षेप प्रबंधन के परिणामस्वरूप गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

इस संगोष्ठी का उद्घाटन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. प्रशांत गार्गव ने किया। इस दौरान श्री डी.पी. मथुरिया, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस संगोष्ठी में प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षाविदों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन, शहरी निकायों, उद्योग संघों आदि

के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने व्यापक रूप से भाग लिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुति की व्यापक रूप से सराहना की गई और यह सहमति बनी कि संबंधित हितधारक इस संगोष्ठी के दौरान प्रस्तुत विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रयास करेंगे और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए मीठे पानी के संरक्षण और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के संदेश को जन-जन तक पहुँचाएंगे।